



Dr. Harphool Singh
DEAN

COLLEGE OF AGRICULTURE, FATEHPUR-SHEKHAWATI

SIKAR-332301, RAJASTHAN

(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)

कृषिमहाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर-332301, राजस्थान
(श्री कर्णनरेन्द्र कृषिविश्वविद्यालय, जोबनेर)



+91-9461930049

dean.coafatehpur@sknau.ac.in

क्रमांक : एफ(23) फार्म/कृ. महा./एफटीआर/2026/405 दिनांक : 23.04.2026

हिस्सा आधारित खेती हेतु खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी के फार्म पर विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन, हिस्सा आधारित खेती लगभग 20-24 हैक्टियर क्षेत्र में करवाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का विवरण	निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र शुल्क
हिस्सा आधारित खेती खरीफ 2026 के लिए	06.05.2026 समय दोपहर 12.30 बजे	06.05.2026 समय दोपहर 03.00 बजे	500/-

निविदा प्रपत्र रुपये 5.00/- केशियर को नगद जमा करवाकर कार्यालय समय प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। अथवा निविदा फार्म श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की वेबसाइट www.sknau.ac.in से डाउनलोड कर निविदा फार्म का शुल्क राशि रुपये 5.00/- का डी.डी. संलग्न कर भी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। सफल निविदादाता को निविदा छूटने के बाद रुपये 25,000/- अमानत राशि कार्यालय में बैंक/डी.डी./नगद के द्वारा जमा करवानी होगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। उक्त निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण www.sknau.ac.in; sppp.rajasthan.gov.in एवं UBN No. कार्यालय में देखा जा सकता है।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर भेजकर निवेदन है कि निविदा खोलने की निर्धारित तिथि दिनांक 06.05.2026 को स्वयं या अपने कार्यालय से नामित सदस्य भेजने की कृपा करावें।
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
3. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति/केशियर/फार्म इंचार्ज/लेखा शाखा कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी ।
4. नोटिस बोर्ड, कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी/ कृषि विज्ञान केंद्र, फतेहपुर-शेखावाटी/श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।


अधिष्ठाता

हिस्सा आधारित खेती हेतु खुली निविदा सूचना


1.	कार्य का नाम	:	फसलों की हिस्सा आधारित खेती
2.	बजट मद	:	Revolving found
3.	कार्य की अनुमानित अवधि	:	कृषि मौसम 2026-27 एक वर्ष (खरीफ एवं रबी)
4.	निविदा फार्म शुल्क	:	500/-रूपये बैंक ड्राफ्ट/नगद
5.	कार्य की अनुमानित मात्रा/लागत	:	6.90,000.00
6.	धरोहर राशि	:	25,000 रूपये बैंक ड्राफ्ट/चैक अथवा नगद
7.	कार्य का अनुमानित क्षेत्रफल	:	20-24 हैक्टर
8.	निविदा प्राप्त करने की दिनांक व समय	:	06.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक
9.	निविदा जमा में जमा कराने की दिनांक व समय	:	06.05.2026 को प्रातः 12.00 बजे तक
10.	निविदा खोलने की दिनांक व समय	:	06.05.2026 को सांय 3.00 बजे
11.	निविदा खोलने का स्थान	:	कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी,
12.	निविदा संदर्भ	:	खरीफ 2026
13.	निविदा प्रपत्र	:	संलग्न (निविदा प्रपत्र मय निविदा शर्तें।
14.	निविदा की शर्तें	:	संलग्न
15.	पत्र व्यवहार हेतु पता	:	अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर- 332301, राजस्थान

निविदा की शर्तें :-


1. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिस पर हिस्सा आधारित खेती के लिए निविदा लिखा हो को अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर-शेखावाटी, सीकर को मय निविदा के विवरण लिफाफे के उपर लिख कर प्रस्तुत करनी होगी।
2. दर शब्दों व अंकों में लिखे। किसी भी प्रकार की कांट छांट अथवा फिर से ठीक किया हुआ स्वीकृत नहीं होगा।
3. यह हिस्सा आधारित खेती केवल कृषि मौसम खरीफ 2026 के लिए ही मान्य होगी।
4. केन्द्र प्रक्षेत्र पर लगभग 20-24 हैक्टर क्षेत्रफल में फसल उत्पादन किया जाना है, परन्तु कितने क्षेत्रफल में कौनसी फसल लगानी है इसका निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित बीजोत्पादन कार्यक्रम के आधार पर व अन्य फसलों का चुनाव व बुवाई सम्बन्धित निर्णय प्रभारी अधिकारी/ केन्द्र प्रभारी के निर्देशानुसार करने होंगे।
5. हिस्सा आधारित खेती बुवाई पूर्व से थ्रेसिंग तक या बुवाई के बाद (निराई-गुड़ाई से पहले) से थ्रेसिंग तक हिस्से के रूप में करवाई जा सकती है।
6. बीज उत्पादन के लिये खेत की तैयारी से लेकर थ्रेसिंग व उत्पादन से प्राप्त बीज की सफाई करके गोदाम में रखने के तक सभी कार्य हिस्साधारक (निविदादाता/ ठेकेदार) को करने होंगे। जिसमें खेत की तैयारी करना, पलेवा करना, बुवाई करना, सिंचाई करना, निराई-गुड़ाई करना, खरपतवारनाशी, कीटनाशी व फफूंदनाशी व उर्वरकों का छिड़काव करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना इत्यादि कार्य हिस्साधारक को करने होंगे।
7. बीज उत्पादन में काम आने वाले सभी आदान (बीज, खाद व उर्वरक, खरपतवारनाशी, कीटनाशी इत्यादि) एवं मशीनरी (थ्रेसर सहित) केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।



8. निविदादाता को सभी कार्य समय पर फार्म प्रभारी/ प्रबन्धक की माँग अनुसार कराने होंगे यदि कोई कार्य समय पर नहीं कराया गया या प्रभारी अधिकारी, कार्य से संतुष्ट नहीं हुए तो उस स्थिति में कार्य कार्यालय द्वारा करा लिया जायेगा व भुगतान ठेकेदार को करना होगा या अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।
9. निविदादाता अगर कोई कार्य फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबन्धक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो अगले दिन कार्यालय स्वयं मजदूर लगाकर कार्य को करवा लिया जावेगा। जिसका भुगतान ठेकेदार के अन्तिम भुगतान में से काट लिया जावेगा।
10. ट्रैक्टर से सम्बन्धित सभी कृषि कार्य केन्द्र द्वारा करवाये जायें तथा डीजल भी केन्द्र द्वारा ही दिया जायेगा।
11. निविदादाता को फार्म पर काम आने वाले कृषि उपकरणों, ओजारो, सिंचाई संबंधी पाईप, फव्वारे, बैन्ड, टी, डाट आदि सामान गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक समस्त देखरेख की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं कार्य समाप्त होने पर जितनी ही संख्या में प्राप्त किये थे वापस लौटाने होंगे। नहीं लौटाने पर या सामान कम लौटाने पर सामान की कीमत कार्यालय में जमा करनी होगी।
12. प्रक्षेत्र पर कृषि कार्यों के दौरान अथवा आने जाने के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे सांप काटना, विद्युत दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की होगी तथा केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने के उपरांत वर्षपर्यन्त दिन-रात फसल खेत में से उठने तक प्रक्षेत्र पर मौजूद संपूर्ण संपत्ति यथा प्रक्षेत्र बाउंड्री, पेड़-पौधे, टयबू-वैल, प्रक्षेत्र पर मौजूद सभी फसलें आदि की चौकीदारी एवं फसलों की नीलगाय व अन्य जानवरों से सुरक्षा का कार्य करना होगा।
14. निविदादाता या उसके मजदूर केन्द्र प्रक्षेत्र पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य को उपयोग करने देगा एवं सेवन करते हुए पाये जाने पर केन्द्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
15. बीज उत्पादन हेतु समस्त शर्ष क्रियाये फार्म मैनेजर/प्रभारी/केन्द्र प्रभारी के निर्देशानुसार समय पर करनी होगी तथा श्रमिकों व ओजारों की व्यवस्था हिस्साधारक को करनी होगी।
16. फार्म की चौकीदारी, पशु-पक्षियों से रखवाली, फसलों के आस-पास की सफाई हिस्साधारक को करनी होगी।
17. उत्पादित बीज का वजन तोलते समय नमी व कचरे का 2 प्रतिशत काटा जायेगा एवं अधिक कचरा एवं नमी होने पर केन्द्र की कमेटी के निर्णय अनुसार वजन काटा जायेगा।
18. व्यवसायिक उत्पादन में हिस्साधारक को बीज व चारे का हिस्सा दिया जायेगा।
19. थ्रेसिंग व उत्पादित बीज को गोदाम में रखने का कार्य सक्षम अधिकारी की देखरेख में करवाना होगा।
20. यदि हिस्साधारक कृषि कार्य समय पर या ठीक से नहीं करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका हिस्सा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
21. किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
22. हिस्साधारक को उत्पादन के रूप में बीज नहीं दिया जायेगा हिस्से की राशि नजदीकी सरकारी मण्डी, कृषि उपज मण्डी, फतेहपुर-शेखावाटी, के 14 दिनों के औसत भाव (फसल निकालने की अवधि के 7 दिवस पूर्व एवं 7 दिवस बाद तक) के औसत मण्डी भाव के आधार पर जो भी मूल्य होगा उसके हिस्से के उत्पाद का बिल कोष कार्यालय से स्वीकृत होने के उपरान्त बैंक चैक द्वारा भुगतान कर दिया जावेगा। ठेकेदार को भुगतान के उपरान्त केन्द्र अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।



23. हिस्साधारक को उसके हिस्से का चारा/भूसा दिया जायेगा। केन्द्र अपने उत्पाद को किसी भी रूप में बेचे इसमें ठेकेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी।
24. निविदा समाप्त होने पर फार्म से लिये गये सभी सामान जमा करवाने होंगे।
25. हिस्सा आधारित खेती का अनुबंध एक सीजन के लिये किया जा सकेगा तथा यह निविदा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम निविदा है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
26. कृषि कार्य करने के दौरान हिस्साधारक व उसके श्रमिकों के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो वे इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।
27. किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए केन्द्र किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
28. निराई गुड़ाई, फसल कटाई, थ्रेसिंग आदि कार्य व थ्रेसिंग उपरान्त इक्कठा करना, ढेर लगाना आदि कार्य मौसम की स्थिति अनुसार निविदादाता को फार्म प्रबन्धक की आज्ञानुसार करने होंगे, व कटी हुई फसल के ढेर को वर्षा होने पर तिरपालों से ढकना होगा। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार संबंधित अधिकारी को होगा।
29. फसल को थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को गोदाम में लाकर समान वजन की बोरियों में भरना होगा एवं व्यवस्थित तरीके से धांग लगानी होगी। बोरिया केन्द्र उपलब्ध करायेगा। थ्रेसिंग के समय क्षति कम से कम हो। अगर थ्रेसिंग के समय क्षति अधिक होगी तो संबंधित अधिकारी द्वारा थ्रेसिंग के कार्य को रोका जा सकता है।
30. सिंचाई हेतु जल आपूर्ति ठेकेदार को फसल में बताए समयानुसार करनी होगी एवं आवश्यक हुआ तो रात्रि में भी करनी होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए केन्द्र/फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की आज्ञा से कार्य की समयावधि घटाई बढ़ाई जा सकती है।
31. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनरे के मध्यस्थ में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
32. किसी प्रकार के सर्विस टैक्स/जी.एस.टी./आयकर या अन्य कोई अतिरिक्त कर हो तो स्पष्ट उल्लेख करें एवं विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार आयकर कटौती के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
33. सफल निविदादाता को समस्त शर्तों के तहत कार्य करने व ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी, ऐसा लिखकर रुपये 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
34. फार्म फील्ड पर यदि खरीफ-रबी सीजन में किसी भी फसल की ट्रायल/केफेटेरिया लगायी जाती है तो जानवरों से उस फसल की सुरक्षा भी निविदादाता को ही करनी होगी।
35. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
36. निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ कर समझ लिया है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार हिस्सा/बटाई की खेती करने हेतु सहमत हूँ।


अधिष्ठाता

कोन्ट्रेक्टर/निविदादाता के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :-

पता:-

मो० न०:-



हिस्सा आधारित खेती हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदादाता का नाम व पता मय दूरभाष :

1. धरोहर राशि रूपये 25,000/- का विवरण: डी.डी./चैक/रशीद सं., दिनांक:
2. निविदादाता का पैन नं.: (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
3. निविदादाता की आधार संख्या: (स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
4. निविदादाता को शर्तों पर सहमति हेतु अपने हस्ताक्षर मय सील करने है।
5. सफल निविदादाता को रूपये 500/- के नान ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा।
7. कृषि उपज मण्डी फतेहपुर-शेखावाटी के 14 दिनों के औसत भाव (फसल निकालने की अवधि के 7 दिवस पूर्व एवं 7 दिवस बाद तक) के आधार पर या विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जो भी मूल्य होगा उसके हिस्से के उत्पाद का बिल कोष कार्यालय से पास होने के बाद चैक द्वारा कर दिया जावेगा।
8. निविदा सील बन्द लिफाफे में कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा।
9. धरोहर राशि पर केन्द्र द्वारा किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम:

दूरभाष:

ईमेल:

परिशिष्ट संख्या -2

हिस्सा आधारित खेती के कार्य को सम्पादन हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

मैं/हम नीचे दर्शाये गये फसलों में हिस्सा आधारित खेती के कार्य को पूरा करने के लिये निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहे हैं :-

क्र.सं.	मौसम	बोई जाने वाली फसल का नाम	हिस्सा आधारित खेती के उत्पादन में ठेकेदार/निविदादाता द्वारा दर्शाया जाने वाला हिस्सा (प्रतिशत) (अंको व शब्दों दोनों में)
1	खरीफ, 2026	ग्वार, मूंग, चंवला, बाजरा व अन्य फसलें	

मैं निविदा की समस्त शर्तों से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

ठेकेदार/कोन्ट्रैक्टर/निविदादाता
के हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :-

पता:-

मो० न०:-